न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 62/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता
   मैसर्सः—खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा निवासी शिव कॉलोनी दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री अभिनन्दन गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 4.7.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि दिनांक 11.4.2017 को 01:45 पीएम बजे मैसर्स— खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में एक एल्यूमिनियम की बडी ट्रे में 4—5 किग्रा कलाकन्द मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी में मिलावट का शक होने पर इसमें से 2 किग्रा कलाकन्द मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 480 रू नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा कलाकन्द मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) को कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द कर कांच की बोतलो पर गोंद से चिपकाया। कांच की बोतलो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर उन पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—1618 गोंद से उपर से नीचे पूरे राउण्ड पर चिपकाकर कांच की बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से उपर नीचे व साईडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 12.4.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.4.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.4.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./800/ए.क्ट/2017/867 दिनांक 24.4.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना अनसेफ खाद्य पदार्थ होना पाया गया। वाद अपील निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की जॉच रिपोर्ट सं0 सर्टिफिकेट नं0– डीओ/201/17/763/2017 दिनांक 15.7.2017 के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार अनसेफ बताया गया है जबकि वाद अपील निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की जॉच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड बताया गया है। उक्त दोनो जॉच रिपोर्ट में विरोधाभास है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल की कार्यवाही करने से पहले कोई लिखित में नोटिस नहीं दिया गया। अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति देने से पहले व बाद में जो कार्यवाही की गई है वह विधि के प्रावधानो के अनुसार नहीं की गई है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./800/एक्ट/2017/867 दिनांक 24.4.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना अनसेफ खाद्य पदार्थ होना पाया गया है जबकि वाद अपील निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की जॉच रिपोर्ट सं0 सर्टिफिकेट नं0–डीओ/201/17/763/2017 दिनांक 15.7.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (दूध चीनी से निर्मित) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता मैसर्सः–खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा निवासी शिव कॉलोनी दौसा पर 7000/–(अक्षरे सात हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 4.7.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 10087-89
दिनांकः– 6.7.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता मैसर्सः–खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा निवासी शिव कॉलोनी दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official